राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः प.172/मुसप्र/स.प.कार्य/2012 /3130 दिनांकः– 12-4-12

उप आवासन आयुक्त,
वृत–....................,
राजस्थान आवासन मण्डल,
.... ।

विषयः– संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में शर्तो की पालना बाबत् संस्थाओं को दिये गये नोटिसों के अनुसार कार्यवाही सूनिश्चित् किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांकः– मुसप्र./संस्थाये/शर्तो की पालना/2011–2012/2553 दिनांक 21.01.2011 एवं 2688 दिनांक 07.02.2012

प्रासंगिक विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में आवंटी संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर उन संस्थाओ के खिलाफ नोटिस दिये जाने तथा आवश्यक कार्यवाही करते हुये निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाकर सूचना भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 2553 दिनांक 21.01.2011 के द्वारा निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा मुख्यालय को प्रेषित सूचना में यह पाया गया कि संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई है। इन प्रेषित सूचना में संस्था को भूमि आवंटन के मांग पत्रानुसार राशि कब जमा कराई गई या नहीं राशि जमा करा दी तो भौतिक कब्जा कब प्राप्त किया अथवा नहीं, कब्जा प्राप्ती के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया या नहीं, भवन निर्माण हो गया हो तो जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन की गई है, उस प्रयोजनार्थ संस्था का संचालन है अथवा नहीं। यदि उक्त शर्तो के विपरीत भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो वृत कार्यालय द्वारा संस्था के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। इत्यादि सूचनाओं का अभाव पाया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कृताधीन योजनाओं में विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर संस्थाओं से आवंटन की शर्तो की पालना रिपोर्ट दिनांक 30.04.2012 उपरोक्तानुसार भिजवायें। यदि सभी संस्थाओं द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई/जा रहीं है तो इस सम्बन्ध में आप अपनी वचनबद्धता दिनांक 30.04.2012 तक आवश्यकरूप से प्रस्तुत करें। आदेशों के अवेहलना करने या प्रेषित पालना रिपोर्ट में अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1 मुख्या अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2 अतिरिक्त मुख्या अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. ACP, RHB, जयपुर को मण्डल website पर डलवाने हेतु प्रेषित है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D:\CEM Backup-2011\All Files-CEM Cell\Prakash ji-2\Letter - P.doc